

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,  
विशेष कार्याधिकारी,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तर प्रदेश जल निगम,  
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग- 5

लखनऊ: दिनांक 8 फरवरी, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-2017 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद मेरठ सीवरेज योजना के जोन-7 के सबजोन- ए, बी एवं सी के अन्तर्गत हाउस कनेक्टिंग चैम्बर्स के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-175/नागर-2/033-410/16, दिनांक 17.08.2016 के संदर्भ में हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-317/2015-1479/नौ-5-15-65बजट/2015 दिनांक 08-10-2015 द्वारा राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद मेरठ सीवरेज योजना के जोन-7 के सबजोन- ए, बी एवं सी के अन्तर्गत हाउस कनेक्टिंग चैम्बर्स के निर्माण हेतु योजना की निर्धारित लागत ₹0 1763.55 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में ₹0 200.00 लाख अवमुक्त की गयी है। का व्यय हो जाने के दृष्टिगत ₹0 500.00 लाख (₹0 पांच करोड़ मात्र) की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) संदर्भित शासनादेश संख्या-317/2015-1479/नौ-5-15-65बजट/2015 दिनांक 08-10-2015 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (2) उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उपरो जल निगम, लखनऊ तथा विशेष कार्याधिकारी, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके लखनऊ कोषागार/ भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय होने तथा कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराये जाने के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने पर अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- (5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।
- (8) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।
- (9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगा यदि

निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2217- शहरी विकास -05-अन्य शहरी विकास योजनाये-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" से आहरित कर लेखाशीर्षक "2215- जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल जल तथा सफाई-07-मल जल सौकर्य-03-सीवरज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आशाओ संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.03.2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्यधिकारी ।

संख्या-37/2017-470/बी-5-17-65बजट/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषण:-

- 1- महालेखाकार, (ववर्स लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, लखनऊ/मेरठ ।
- 3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ ।
- 6- नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ ।
- 7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- 8- मुख्य अभियंता (गाओक्षे0), 30प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।
- 9- अधिशासी अभियन्ता, 30प्र0 जल निगम, मेरठ।
- 10- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
- 11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शारान।
- 12- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्यधिकारी ।

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)  
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन  
अनुदान संख्या व नाम- अनुदान संख्या-37- नगर विकास विभाग, वित्तीय वर्ष 2016-17

(धनराशि हजार ₹0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत (राजस्व लेखा)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2217- शहरी विकास -05-अन्य शहरी विकास योजनाये-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	900000	50000	50000	50000	850000
योग	900000	50000	50000	50000	850000
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत (राजस्व लेखा)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2215- जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल जल तथा सफाई-107-मल जल शोधार्थ-03-सीवरेज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	100000	150000	50000	50000	150000
योग	100000	150000	50000	50000	150000

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

- (1) सीवरेज कार्यक्रम के अन्तर्गत परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण बचत हो रही है।
- (2) स्तम्भ 8-में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 9-में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-  
नागर निकायों के लिये सीवरेज कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।
- (3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के पन्ने- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या- 426 -ई-8-220 /दस-2017, दिनांक 07 फरवरी, 2017  
रोवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,  
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(उमा शंकर सिंह)  
विशेष कार्यधिकारी,  
नगर विकास विभाग।

( सुभाष चन्द्र )  
उप सचिव,  
वित्त विभाग।

संख्या-37/2017-470 (1) /नौ-5-2017- 65 बजट/2015 तददिनांक

पत्तिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, (वर्कस लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, लखनऊ/मेरठ ।
- 3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ ।
- 6- नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ ।
- 7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- 8- मुख्य अभियंता (गा0क्ष0), 30प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।
- 9- अधिशासी अभियन्ता, 30प्र0 जल निगम, मेरठ।
- 10- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
- 11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
- 12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर रोल।

आज्ञा से,  
(उमा शंकर सिंह)  
विशेष कार्यधिकारी।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-08/02/2017


प्रेषण संख्या:- 37  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-37-2017-470-9-5-17-65B-2015  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
107 - मल - जल सेवाएं  
03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 150000000	50000000 150000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	50000000 150000000	50000000 150000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पन्द्रह करोड़

  
(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी